आज दिनांक 27.02.2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.10.2019 के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–39 सह पठित ज्ञापांक–974(ई0) दिनोक–26.07.2019 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन पेड़ों के पुर्नस्थापन/पातन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की भागलपुर में अध्यक्ष–सह–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ––

शेखपुरा–लखीसराय–जमुई एवं बांका जिलान्तर्गत NH-333A वरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–खैरा–सोनो –झाझा–सिमुतल्ला–बांका –पंजवारा का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 89.6878 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव

उपस्थिति :--

- 1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर
- 2. वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर
- 3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई

सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक, भागलपुर-सह-अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष इस संबंध में प्राप्त निदेशों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई- सह- सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि जमुई जिलानतर्गत NH-333A बरबीधा--शेखपुरा- सिकन्दरा- जमुई -छोरा-सोने-झाझा-सिमुतल्ला -बांका-पंजवारा झारखण्ड बॉर्डर तक (0.00-198.45 कि0मी0) पथ के चीडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम--1980 के तहत 89.6878 ह0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् पथ के वौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कार्य में प्रमावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 18343 (अठारह हजार तीन सौ तैतालीस) वृक्ष है। वृक्ष सुरक्षा योजना में प्रस्तावित है कि 60 से0मी0 से जपर गोलाई के वृक्षों का पालन किया जाना है और 0-60 से0मी0 गोलाई तक के वृक्षों का पुर्नस्थापन किया जाना है। इसके अनुसार पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 16204 (सोलह हजार दो सौ चार) है जिसमें पथ के बाये तरफ 8285 वृक्षों एवं दायें तरफ 7919 वृक्ष हैं तथा पुर्नस्थापित होने वाले वृक्षों की संख्या 2139 (वो हजार एक सौ उनचालीस) है जिसमें पथ के वाये तरफ 1122 वृक्षों एवं दायें तरफ 1017 वृक्ष हैं। उक्त सभी वृक्षों की संयुक्त गणना वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं प्रयोक्ता एजेसी कार्यपालक अभियता, एन0एव0 प्रमंडल--2, विहारशरीफ, Arborist Dr. Tapan kumar pan arboculturist University Deptt. of Botany T.M.B.U. Bhagalpur के द्वारा की गयी है। वन प्रमंडलीय पत्रांक 293 दिनांक-01.02.2024 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है।

क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् समर्पित प्रस्ताव से संबंधित संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना पर सहमति दी जाती है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही उसमें निहित शत्तों के अधीन ही पातन/पुर्नस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। समिति की बैठक की कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (यन संरक्षण). बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु सदस्य सचिव-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल को अधिकृत किया गया।

अंत में सवन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई

白白地

AN ANTA

The Mar In Man Mar

CAL COLOR AND AND

THE REAL PROPERTY.

and the second second

Sec. Aler

6 27/2/1024 सदस्य-सह-वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर।

ALCE ALCONG STREET

27/2/2 अध्यक्ष-सह-

केव्यत- २१६-क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर।

States of the second se

सदस्य सचिव – सह– वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

02.24

-Jejns